

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठारणीन अधिकारी श्री अजीत सिंह राठौड (आर.ए.एस)

पक्रण संख्या 40/2023

उनवान

1. श्रीमती मोहनी पुत्री लाला पत्नि मुलाव कुम्हार नि. माल का खेडी हाल ओज्याडा तह. हमीरगढ तह. हमीरगढ।

—प्रार्थी

चनाग

1. श्री रातु पिता मोदू दसोमा नि. ओज्याडा तह. हमीरगढ जिला भलीवाडा।
2. श्री लादू पिता केला अहिर नि. ओज्याडा तह. हमीरगढ जिला भलीवाडा।
3. श्री देवी पिता गांगु दसोमा नि. रेलवे स्टेशन कवि नगर, हमीरगढ तह. हमीरगढ।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

---अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 16.05.2023

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 01.03.2023 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम ओज्याडा प.ह. ओज्याडा भू.अ.नि. हमीरगढ तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा में खाता संख्या 552 की आ.न. 488 रकवा 0.5690 है, आ.न. 489 रकवा 0.0759 है, आ.न. 490 रकवा 0.4173 है, आ.न. 491 रकवा 0.6702 है, आ.न. 492 रकवा 0.1770 है, आ.न. 493 रकवा 0.1138 है, आ.न. 494 रकवा 0.2403 है, कुल कित्ता 07 कुल रकवा 2.2635 है भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 03.03.2023 को पंजीवद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 01 लगायत 03 वावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत वहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

—:आदेश:-

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि ग्राम ओज्याडा प.ह. ओज्याडा भू.अ.नि. हमीरगढ तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा में खाता संख्या 552 की आ.न. 488 रकवा 0.5690 है, आ.न. 489 रकवा 0.0759 है, आ.न. 490 रकवा 0.4173 है, आ.न. 491 रकवा 0.6702 है, आ.न. 492 रकवा 0.1770 है, आ.न. 493 रकवा 0.1138 है, आ.न. 494 रकवा 0.2403 है, कुल कित्ता 07 कुल रकवा 2.2635 है भूमि स्थित है। जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 800/- पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/- रु० की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 16.05.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फौसल शुमार होकर दाखिल दफतर रहे।

(अजीत सिंह राठौड)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ